संख्या-243/2025/1439/003-23-6099(099)/264/2024

प्रेषक,

शिव कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-6 **लखनऊ: दिनांक** 04-07-2025

विषयः वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत पण्डित दीनदयाल उपाध्याय योजनान्तर्गत आजमगढ मण्डल के आजमगढ जनपद के 05 चालू कार्य पर धनराशि आवंटन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु०-1), लो०नि०वि०, लखनऊ के पत्र(तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार पं0 दीनदयाल उपाध्याय योजनान्तर्गत आजमगढ मण्डल के आजमगढ जनपद के 05 चालू कार्यों हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ-5 में उल्लिखित शासनादेशों द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 में तालिका के स्तम्भ-09 के अनुसार रू0 176.09 लाख (रुपये एक करोड छिहत्तर लाख नौ हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण/शर्तों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	मुख्य अभियंता (मु0-1) के पत्रांक	खण्ड/ जनपद का नाम	कार्य	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत/ प्राविधिक/ बचत/ बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	क्षेत्र से मांग	प्रस्तावित आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	14773/CE-HQ1/PDDUY/AZM/2025-26 Dt- 19-06-2025	प्रा.ख. आजमगढ़	पाती बुजुर्ग सम्पर्क मार्ग से तौफापुर यादव बस्ती सम्पर्क मार्गके नवनिर्माण का कार्य।	53/2025/1485/23-6099(099)/277/2024	60.47 60.47 1.75 58.72	3.02	52.76	38.08
2	तदैव	प्रा.ख. आजमगढ़	नसीरपुरसे होते हुए बगवार शारदा नहर तक नवनिर्माण का कार्य।	तदैव	48.62 48.62 1.52 47.10	2.43	42.32	30.54
3	तदैव	प्रा.ख. आजमगढ़	गुलवागौरी शारदा नहर से अलाउद्दीनपट्टी सम्पर्क मार्ग।	तदैव	44.66 44.66 1.50 43.16	2.23	38.77	27.98

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

4	तदैव	प्रा.ख. आजमगढ़	सियरहा मोतीगंज मार्ग के कि0मी0 3 से दायीं ओर पंजाब नेशनल बैंक केबगल से पाण्डेयचवार समपर्क मार्ग।	तदैव	61.83 61.83 1.23 60.6	3.09	54.48	39.33
5	तदैव	प्रा.ख. आजमगढ़	शहाबुद्दीनपुर पासी बस्ती सम्पर्क मार्ग।	तदैव	63.25 63.25 1.60 61.65	3.16	55.41	40.16
							कुल योग	176.09

<u>नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों</u>

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त मार्गों को निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापूरक पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(3) स्तम्भ-5 में अंकित शासनादेशों की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डीडी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं.-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(6) चालू कार्य की अवशेष धनराशि इस शर्त के अधीन है कि यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि अवमुक्त की जा रही धनराशि पूर्व में अवमुक्त नहीं हुई है। यदि कोई विसंगति/द्विरावृत्ति पायी जाती है तो शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,76,09,000 (रुपये एक करोड़ छिहत्तर लाख नौ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025 - 26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054043379600 पं दीनदयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजना के अन्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं हेतु अनजुडे ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्गो से जोडने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों/लघु सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव कुमार

अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

2- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण) उ0प्र0 प्रयागराज।

3- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद ।

4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।

5- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

6- निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।

7- मुख्य अभियंता (मु०-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

9- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

10- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

आज्ञा से,
शिव कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।